रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1986/चैत्र 26, 1908
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1986/CHAITRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सं० 253/1986-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 633(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

की अधिसूचना सं० 117-सीमा-शुल्क, तारीख 9 जून, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

'(7) "अग्रम अनुज्ञप्ति पर आयातित" के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त आयात और निर्यात नीति के अनुसार खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन आयात के लिये अनुज्ञात तथा खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन इस प्रकार आयातित किन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय 9 के अधीन भाण्डागारित माल भी है यदि भाण्डागार से निकासी के समय ऐसे माल के लिये विधिमान्य अग्रिम अनुज्ञप्ति निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती है।'।

[फा० सं० 605/11/86-डी बी के]

एस०के० राय, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th April, 1986

NOTIFICATION

NO. 253|1986-CUSTOMS

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs, dated the 9th June, 1978 namely :—

In the Explanation to the said notification, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely :— '(vii) "imported against advance licence" includes goods allowed for import under

the OGL in terms of the import and export policy for the time being in force and so imported under OGL but warehoused under Chapter IX of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), if at the time of clearance out of the warehouse a valid advance licence for such goods is produced by the exporter.'

[F. No. 605|11|86-DBK]

S K. ROY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986